3116 Cu 4330/ 4191 2877 5000

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

बिहार भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976
की धारा 26 (1) के अन्तर्गत केरूबाद
सं० 23/76 दिनांक 8/1/77 को
सात दिन की अवाम सूचना हो चुकी है।

8660-00
45-00
8705 00

2414, 2415

2542, 2543

10/6

3637

3030
6685

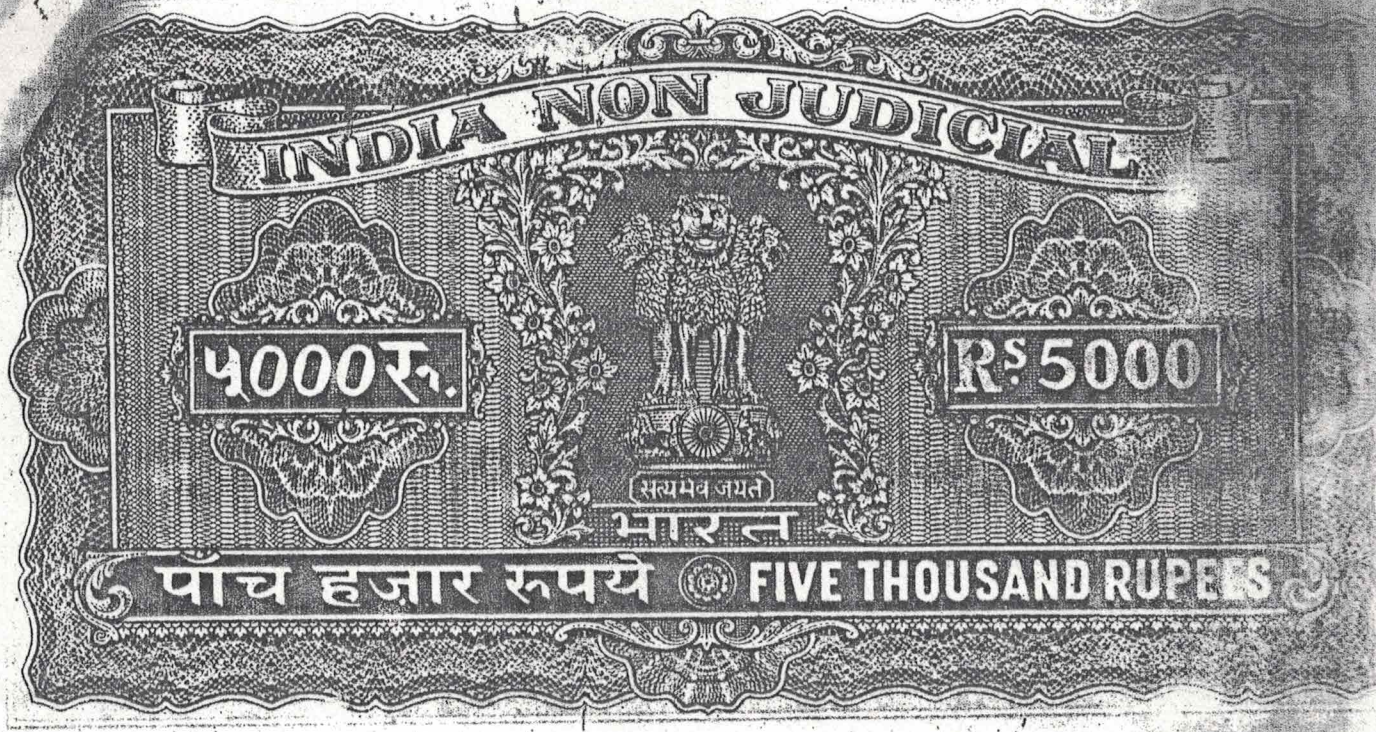
10/6/77

१. नाम लेखपत्रकारिणी:- **श्रीमती विमला गोयल** धर्मपत्नी श्री विश्वमोहन कुमार निवास स्थान कांग्रेस मैदान कदम-कुआं थाना वो पत्रालय कदमकुआ जिला पटना।

भारतीय नागरिक।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

5000 Rs

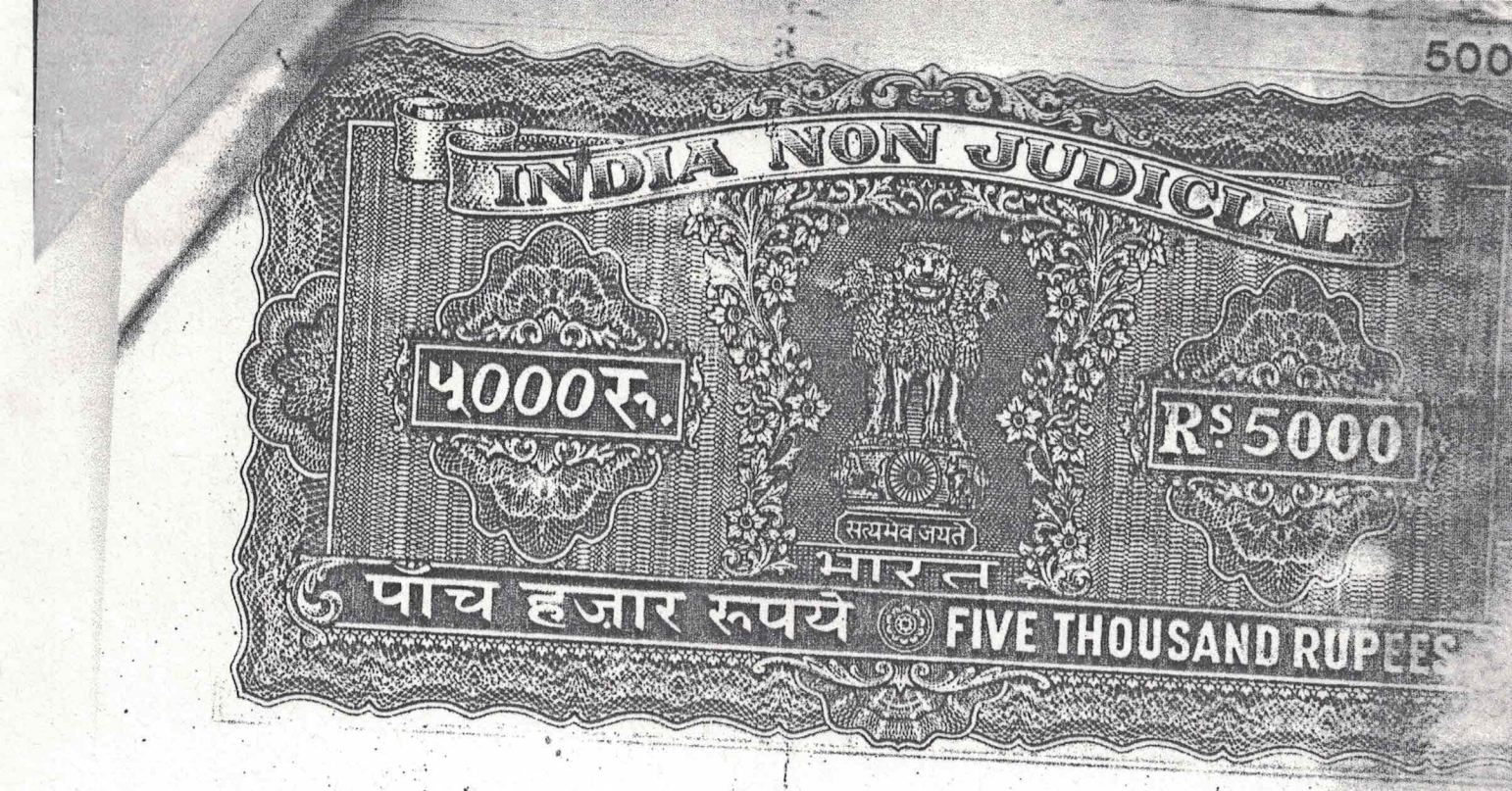


२.नाम लेख्यधारिणीः—*श्रीमती (डा०) रूपा सिंह* धर्मपत्नी श्री (डा०) अभय बहादुर सिंह निवास स्थान पुरानी बाजार झाझा थाना वो पत्रालय झाझा जिला जमुई भारतीय नागरिक।

३.लेख्य प्रकारः— निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वय ला कलामी (Deed Of Absolute Sale)

४.मूल्यांकनः— मो० 4,33,000/—चार लाख तेतीस हज़ार रूपया। मात्र

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

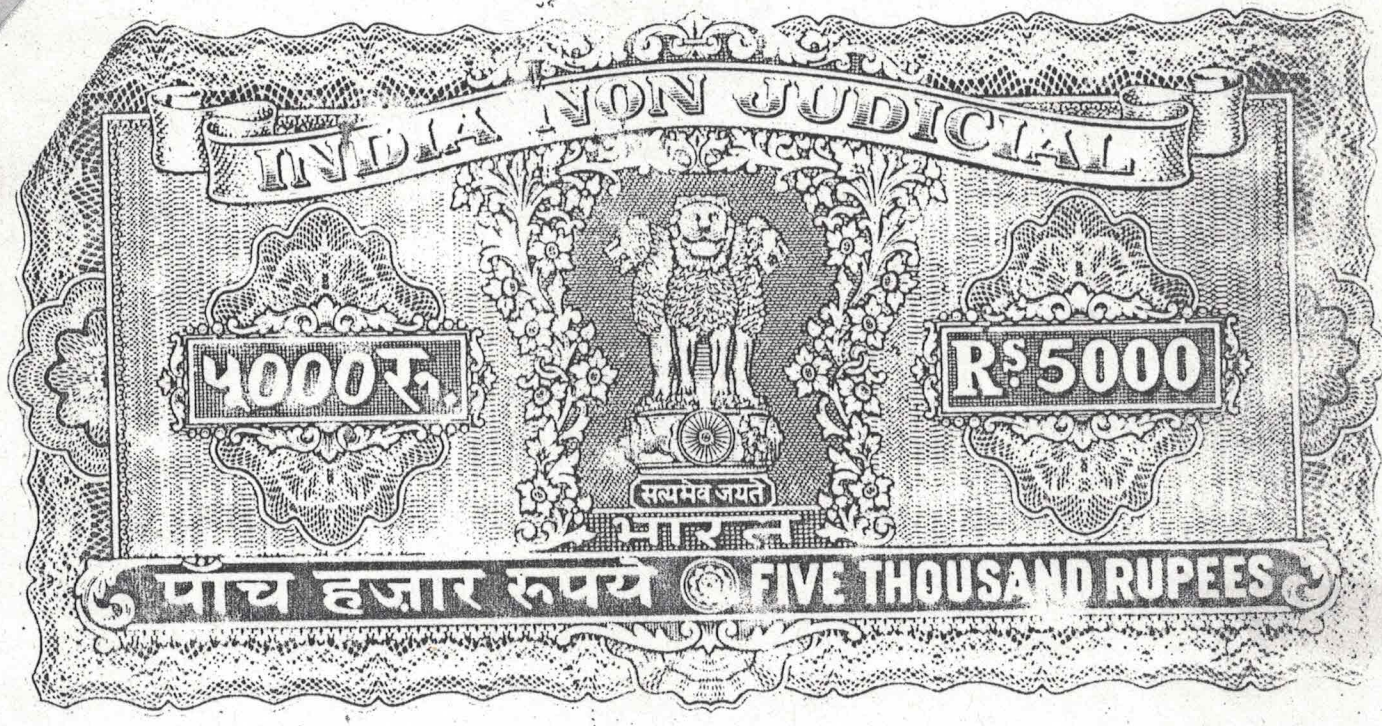


५.सम्पति का सम्पुर्ण: विवरण

मवाजी (4 कट्ठा 15 धुर) चार कट्ठा पन्द्रह धुर एराजी परती आवासिय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा सगुना परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है। जिसकी तौजी न0 5292(पांच हजार दो सौ वानवे) थाना संख्या 23 (तेइस) खाता संख्या 69 (उनहतर) सर्वे खसरा संख्या 382 (तीन सौ बेरसी) का अंश भाग जिसकी सालाना लगान मो0 2– 50 पैसा अलावे शेश बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना)

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director

5000Rs



(1)

चौहद्दी

उत्तर:— श्री सीता राम गोप

दक्षिण:— श्री रामजीवन सिंह

पूरब:— सरकारी हण्डल

पश्चिम:— पार्ट प्लौट न0 382 श्री (डा0) अभय बहादुर सिंह इमरोजा खरीदार

For GANPATI RESIDENCY
PRIVATE LIMITED
अभय कुमार सिंह
Director

5000 Rs



(5)

यह कि उपरोक्त सम्पति की बिक्र हेतु लेख्यकारिणी ने शहरी सम्पति भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 (1) के अर्न्तगत सक्षम पदाधिकरी पटना के समक्ष विहित विपत्र पर दिनांक 08–4–2000 ई0 को सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष सूचना दाखिल किये है। जिसका कमांक 3310 सन् 2000 ई0 है। जिसमे साठ दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है। और आज तक उपरोक्त सम्पति के अधिग्रहण या सुचना पत्र के अस्वीकृति की कोई सूचना लेख्यकारिणी को प्राप्त नही हुई है। जिससे उक्त अधिनयम की धारा 26 (2) के अनुसार स्पश्ट है कि लेख्यकारिणी द्वारा उपरोक्त सम्पति के हस्तान्तरण करने मे सरकार को कोई आपति नही है।

सदर्भ

हकियत यहे है कि उपरोक्त खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को लेख्यकारिणी ने बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी मरकुमा तारीख

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director



27–12–1979 श्री शिवनाथ साव पिता का नाम श्री दमडी साव वो उनके पुत्र गण निवासी सगुना थाना दानापुर जिला पटना से वय खरीद किय थे जिसका पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1917 / 1980 पृश्ट संख्या १०५ से ५।० वशिका संख्या १९९५ सन् 1979 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारिणी बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दख्लकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने निजी उपयोग वो उपभोग मे लाती रही है। वो लेख्यकारिणी का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 547 सन् 1999–2000 ई० मे दर्ज पाया गया है।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director

5000R



(7)

लेख्यकारिणी को अपने निजी आवश्यकताओं की पुर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है। और जब तक खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारिणी नहीं करती है तब तक रूपयो का शीघ्र प्रबन्ध करना वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी बहैसियत सम्पति के मुल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था मे अपने सम्पुर्ण लाभ हानि को भलीभांति समझ बुझकर बिना किसी बाहरी दवाव वो डराव वो घमकाव के अपने अपने खुशी वो खाहिस से अपने शुभचिन्तको एवं कानुनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर खाना न0 5 मे वर्णित सम्पति को समया-नुसार उचित मुल्य मो0 4,33,000/-चार लाख तेतीस हजार रूपया मे बदस्त लेख्यधारिणी खाना न0 2 के बेचा वो वयला कलामी किया।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

अजय कुमार सिंह

Dir

5000R



वो लेख्य निश्पादन का एकरार सहर्श स्वीकार किया।

मुल्य के कुल रूपयो को लेख्यकारिणी ने इस वशिका पर हस्ताक्षर के पुर्व ही केता पक्ष से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर चूकी हैं।

ख़ाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मेजितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी को प्राप्त था या आइन्दे भविश्य मे प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मुल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तान्तरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविश्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग मे लावे वो नाम अपनी बज़ाय लेख्यकारिणी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के राजस्व विभाग मे दर्ज रजिस्टर करा लेवेगे। उसमे लेख्यकारिणी

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

5000Rs



या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजुर वो एतराज न है वो न कभी होगा। वो यदि लेख्यकारिणी या उनके कोई भी उत्तराधिकारी किसी प्रकार का कोई उजुरदारी या दावा निस्बत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करे तो उनके द्वारा पेश की गई दावा या उजुरदारी बमोकाबले वशिका इस बिक्रय पत्र के रदद वो गैर कानुनी होंगा वो किसी भी दिवानी या फोजदारी अदालत मे कानुनी कारवाई करने योग्य नही समझा जायगा।

लेख्यकारिणी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारीसे पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी ने खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण नही

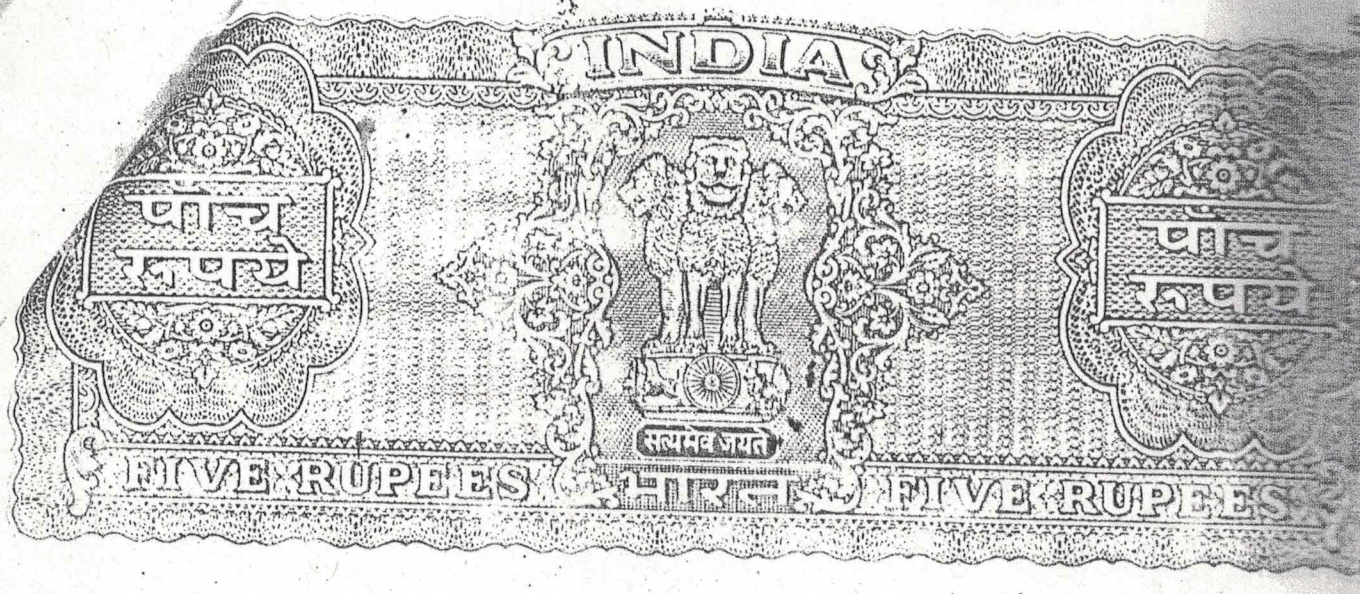
For GANPATI RESIDENCY
PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director

5000R



किय है। वो नही लिखे है। वो अगर खेलाफ इसके खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे पाया जाय या लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार या उनके उतराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाय या लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी के हस्तक्षेप के फल-स्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिय जाय जिससे किसी प्रकार का कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके किसी भी उतराधिकारी को हो तो वैसी हालत मे खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी अपनी क्षतिपुर्ति बकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पडे. उसे मय सूद लेख्यकारिणी से या उनके

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director



उतराधिकारी से या उनके अन्य सम्पति से कानुनी कारवाई करके वसुल वो बेबाक कर लेवेगे। इसमे लेख्यकारिणी या उनके किसी भी उतराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजुर वो एतराज न हैं वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वय ला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। समाप्त।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कुल बीस पृश्टो मे तैयार की गयी है जो एक दुसरे की सच्ची प्रतिलिपी है।

प्रारूपकर्ता

लेख्यकारिणी का हस्ताक्षर

For GANPATI RESIDENCY
PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director

अनुसूची १४—फारम सं ५९

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १४९)

आदेश पत्रक ता०..... से..... तक

जिला..... से.....

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 475/2000

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	[illegible] गवाह का हस्ताक्षर और तारीख
14.6.2000	आज दिनांक 14.6.2000 को राजस्व कार्य के निरस्तर के प्रसंग में ग्राम ..... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री मती डा० उषा सिंह वल्द श्री डा० अमर बहादुर सिंह ग्राम पुरनीबिगहा थाना [illegible] जिला आरा ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे स्वीकार संख्या 2879 दिनांक 10.6.2000 प्रति है श्री मती चिमला गोयल वल्द विष्णु मोदन कुमार ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला पटना के कब्जे किया है	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
[illegible]	23		27	322	58 11

28.6.2000

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। [illegible]

अभिलेख दिनांक [illegible] को उपस्थित करें।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन।—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण कब्जे में है।

३) जमाबन्दी [illegible] के नाम से कायम है।

अंचलाधिकारी

For GANPATI RE... PRIVATE LI...

अभय कुमार सिंह

Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का	टिप्पणी तथा संक्षिप्त

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पत्र में नामांकन दी जाती है।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

लेखापति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy

Authorised under Sec. 76 of Act 1872

For GANPATI R... AGENCY PRIVATE LI...

Director

दारि

मु० केश नम्बर— 475/2000-2001 साल—

ग्राम— सबुना राजस्व थाना नम्बर—23 जिल— पटना

मु० में जमीन रकवा 58.111.

प्राप्त का जरिया— खरीदारी

जरशमन केवाला— 2879 तिथि 10.6.2000.

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	जमाबंदी रद्द
श्रीमती विमला गोयल पत्नी श्री स्व० मोहन कुमार गोयल	8V	322	58.111	₹ 20	अ० अ० दानापुर मालबाय, प्रमाणित किया जाता है। जमाबंदी लिये में है। जमीन के दखल जल्द से दाखिल की दी स्वीकृति दिया जाता है।
बचा हुआ रकवा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	
श्रीमती (डा०) रेखा सिंह पत्नी श्री (डा०) सत्यवचन्द्र सिंह सा० पुरानीबाजार, अल मामा— जिला जमुई	8V	322	58.111.	₹ 20	

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

अवध कुमार सिंह

Director

Certified to be true Copy

Head Clerk,

Authorised under Sec. 76 Act of 1872

17/2000



बहुरी भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976
की धारा 26 (1) के अन्तर्गत केसवाद
दिनांक 10.6.2000
आठ दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है

2416,2417 — 10.6.2000

2543,2545 — 10.6.2000

10/6/2000

१.नाम तेलियाकारिणी:- श्रीमती रामसखी देवी धर्मपत्नी श्री भूनेश्वरी प्रसाद निवासी स्थान कांग्रेस मैदान कदम-कुआं थाना वो पत्रालय कदमकुआ जिला पटना। भारतीय नागरिक।

10/6/2000

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

5000



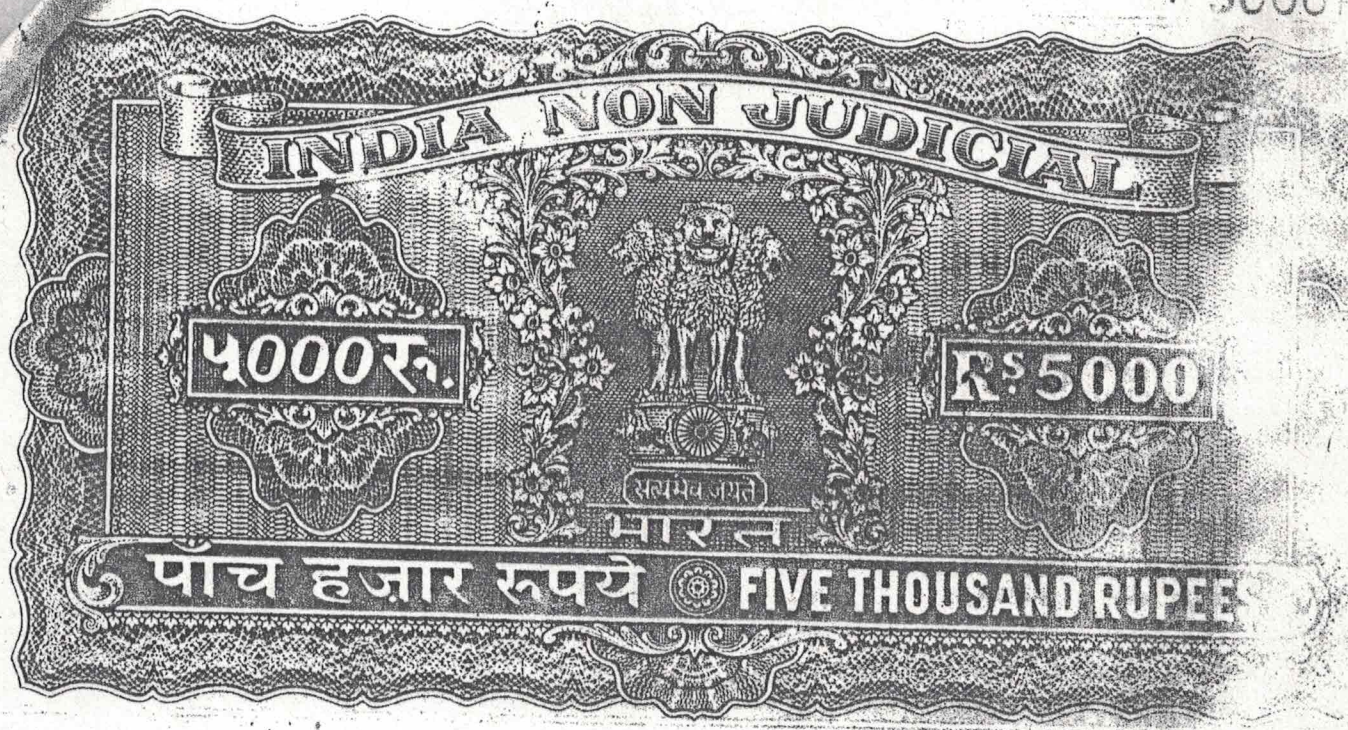
(2)

३.नाम लेख्यधारी:—श्री (डा0) अभय बहादुर सिंह पिता का नाम श्री शिवपुजन सिंह निवास स्थान पुरानी बाजार झाझा थाना वो पत्रालय झाझा जिला जमुई भारतीय नागरिक।

३.लेख्य प्रकार:— निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वय ला कलामी (Deed Of Absolute Sale)

४.मुल्याकन:— मो0 4,33,000/—चार लाख तेतीस हजार रूपया। मात्र

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अभय कुमार सिंह
Director



५.सम्पति का सम्पुर्ण: विवरण -मवाजी (4 कट्ठा 15 धुर) चार कट्ठा पन्द्रह धुर एराजी परती आवासिय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा सगुना परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है। जिसकी तौजी न0 5292(पांच हजार दो सौ वानवे) थाना संख्या 23 (तेइस) खाता संख्या 69 (उनहतर) सर्वे खसरा संख्या 382 (तीन सौ बेरसी) का अंश भाग जिसकी सालाना लगान मो0 2– 50 पैसा अलावे शेश बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना)

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

5000 Rs



चौहद्दी

उत्तरः— श्री सीता राम गोप

दक्षिणः— श्री रामजीवन सिंह

पूरबः— पार्ट प्लौट न0 382 श्रीमती (डा0) रूपा सिंह इमरोजा खरीदार

पश्चिमः— श्री लक्ष्मी साव

For GANPATI RESIDENCY
PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director



(5) (5)

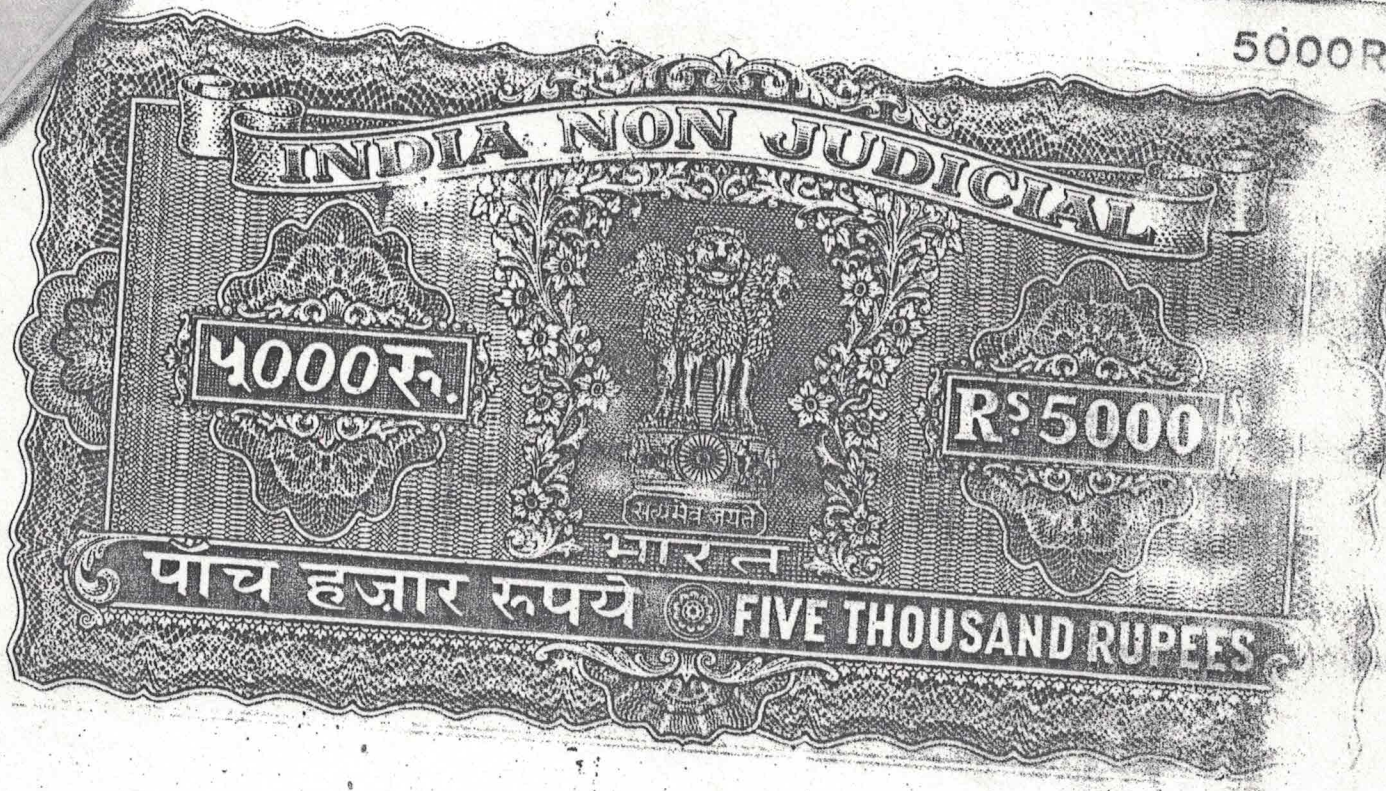
यह कि उपरोक्त सम्पति की बिक हेतु लेख्यकारिणी ने शहरी सम्पति भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 (1) के अर्न्तगत सक्षम पदाधिकरी पटना के समक्ष विहित विपत्र पर दिनांक 03–4–2000 ई0 को सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष सूचना दाखिल किये है। जिसका कमांक 3047 सन् 2000 ई0 है। जिसमे साठ दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है। और आज तक उपरोक्त सम्पति के अधिग्रहण या सुचना पत्र के अस्वीकृति की कोई सूचना लेख्यकारिणी को प्राप्त नही हुई है। जिससे उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) के अनुसार स्पश्ट है कि लेख्यकारिणी द्वारा उपरोक्त सम्पति के हस्तान्तरण करने मे सरकार को कोई आपति नहीं है।

संदर्भ

हकियत यह है कि उपरोक्त खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को लेख्यकारिणी ने बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी मरकुमा तारीख

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अनय कुमार सिंह
Director

5000Rs.



(6)

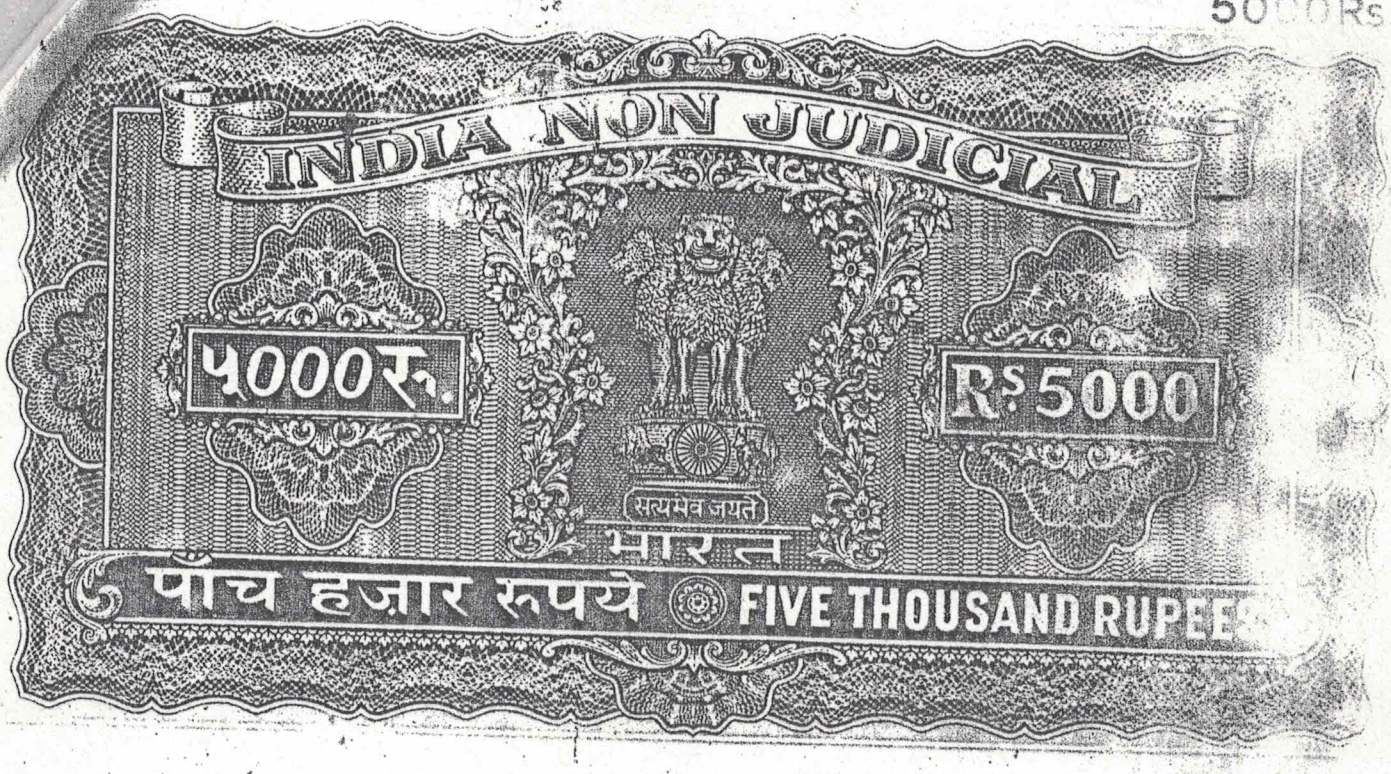
27–12–1977 श्री शिवनाथ साव पिता का नाम श्री दमडी साव वो उनके पुत्र गण निवासी सगुना थाना दानापुर जिला पटना से वय खरीद किय थे जिसका पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 पाते 1980 पृश्ट संख्या 511 से 517 वशिका संख्या 5685 सन् 1977 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारिणी बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दख्लकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने निजी उपयोग वो उपभोग मे लाती रही है। वो लेख्यकारिणी का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 546 सन् 1999–2000 ई0 मे दर्ज पाया गया है।

रामसरी देवी w- निखिल कुमार

रामसरी देवी w. निखिल कुमार

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

Director



(7)

लेख्यकारिणी को अपने निजी आवश्यकताओं की पुर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है। और जब तक खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारिणी नहीं करती है तब तक रूपयो का शीघ्र प्रबन्ध करना वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी बहैसियत सम्पति के मुल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था मे अपने सम्पुर्ण लाभ हानि को भलीभांति समझ बुझकर बिना किसी बाहरी दवाव वो डराव वो घमकाव के अपने अपने खुशी वो खाहिस से अपने शुभचिन्तको एवं कानुनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर खाना न0 5 मे वर्णित सम्पति को समया-नुसार उचित मुल्य मो0 4,33,000/-चार लाख तेतीस हजार रूपया मे बदस्त लेख्यधारी खाना न0 2 के बेचा वो वयला कलामी किया।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

5000Rs



(8)

वो लेख्य निश्पादन का एकरार सहर्श स्वीकार किया।

मुल्य के कुल रूपयो को लेख्यकारिणी ने इस वशिका पर हस्ताक्षर ~~के पुर्व ही केता पक्ष से निम्न लिखीत बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया।~~

~~बैंक का नाम~~ ~~बैंक ड्राफ्ट नं0~~ ~~दिनांक~~ ~~मुल्य~~

के पुर्व ही केता पक्ष से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर चूकी हैं।

खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी को प्राप्त था या आइन्दे भविश्य मे प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मुल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तान्तरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविश्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग मे लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारिणी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के राजस्व विभाग मे दर्ज रजिस्टर करा लेवेंगे। उसमे लेख्यकारिणी

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

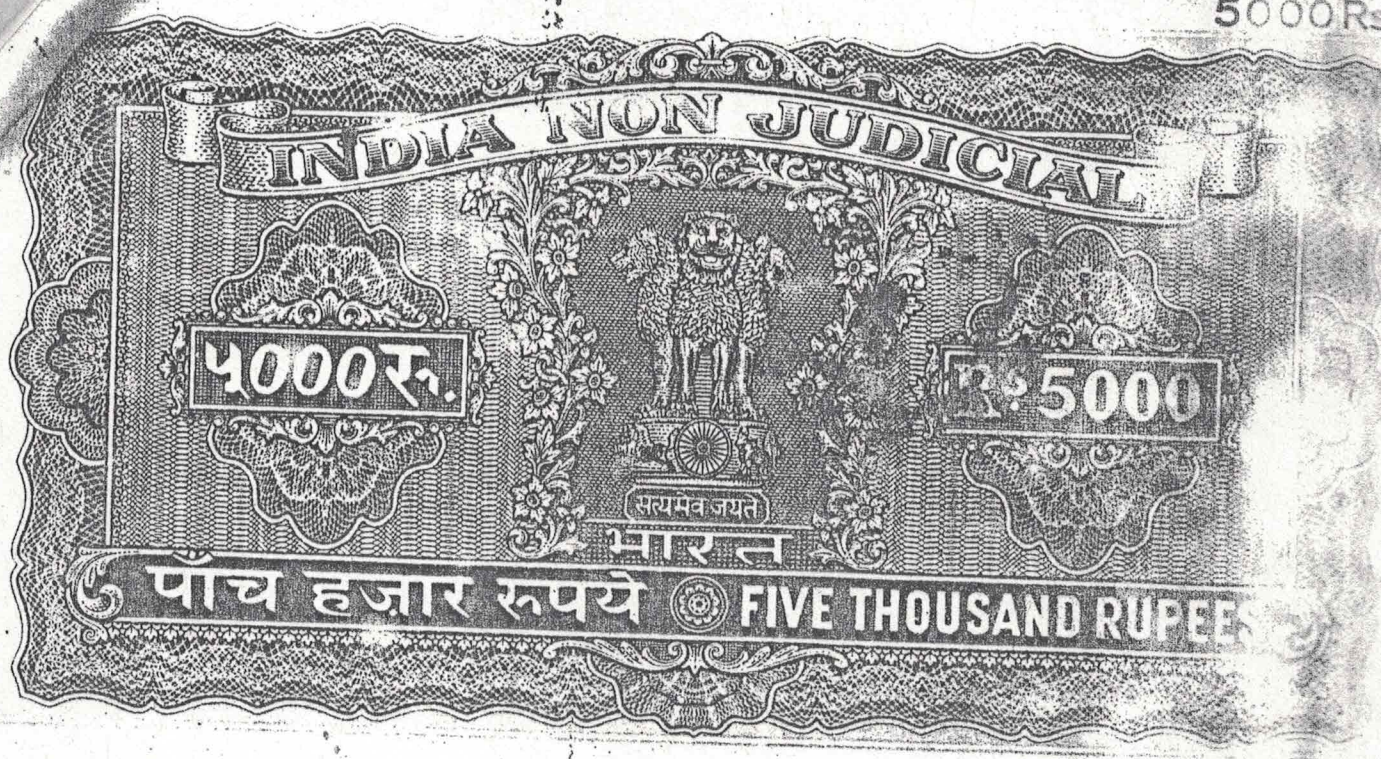
5000Rs



या उनके किसी भी उतराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजुर वो एतराज न है वो न कभी होगा। वो यदि लेख्यकारिणी या उनके कोई भी उतराधिकारी किसी प्रकार का कोई उजुरदारी या दावा निस्बत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करे तो उनके द्वारा पेश की गई दावा या उजूरदारी बमोकाबले वशिका इस बिकय पत्र के रद्द वो गैर कानुनी होगा वो किसी भी दिवानी या फौजदारी अदालत मे कानुनी कारवाई करने योग्य नही समझा जायगा।

लेख्यकारिणी (बिकेता) ने लेख्यधारी (केता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारीसे पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी ने खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण नही

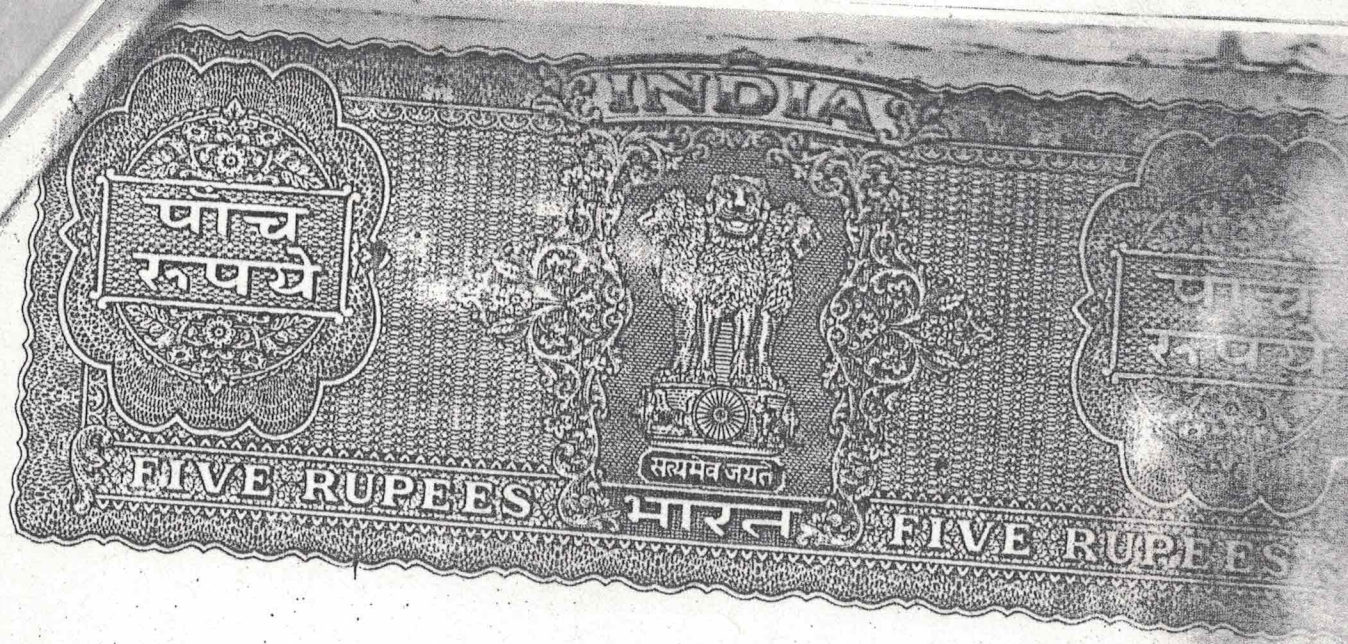
For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director



किय है। वो नही लिखे है। वो अगर खेलाफ इसके खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति मे पाया जाय या लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार या उनके उतराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाय या लेख्यकारिणी या उनके उतराधिकारी के हस्तक्षेप के फल-स्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिय जाय जिससे क़िसी प्रकार का कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके किसी भी उतराधिकारी को हो तो वैसी हालत मे खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी अपनी क्षतिपुर्ति बकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पडे. उसे मय सूद लेख्यकारिणी से या उनके

रामसरी देवी
9.6.2000

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director



उतराधिकारी से या उनके अन्य सम्पति से कानुनी कारवाई करके वसुल वो वेवाक कर लेवेगे। इसमे लेख्यकारिणी या उनके किसी भी उतराधिकारी को किसी प्रकार की कोई उजुर वो एतराज न हैं वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वय ला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। समाप्त।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कुल बीस पृश्टो मे तैयार की गयी है जो एक दुसरे की सच्ची प्रतिलिपी है।

प्रारूपकर्ता

लेख्यकारिणी का हस्ताक्षर

रामसरी देवी

व. विनित कुमार

10. 6. 2000

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

Director

अनुसूची १४—फारम सं० ५१

(नियम ४०)

IRUPEE50P

(पत्र व्यवहार हेतु पता)

ग्रा० ..... से ..... तक

जिला ..... पुनः दर

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० ..... /2005

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अगली पेशी की तारीख
14.6.2000	आज दिनांक 14.6.2000 को राजस्व कार्य के निरस्तर के प्रसंग में ग्राम ..... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री डा० अभय बहादुर सिंह बल० श्री शिव पूजन सिंह ग्राम पुरानी बाजार थाना मसौढ़ी जिला औरंगाबाद ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 8858 दिनांक 10.6.2000 प्रति से उन्होंने श्री मती रूप देवी देवी बल० अनंत कुमार ग्राम बड़हलगंज थाना बड़हलगंज जिला पटना के क्रय किया है	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
सगुना	23		5/-	322	58 1/1

28.6.2000

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। .....

अभिलेख दिनांक ..... को उपस्थित करें।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन।—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्व दखल में है।

३) जमाबन्दी विहीन के नाम से कायम है।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director

दाखि

• केश नम्बर— 1179/2080-20 साल—

ग्राम—सप्तरा

मु० में जमीन रकवा

जरशमन 433004/- केवाला— 2878 तिथि 10.6.2008

प्राप्त का जरिया— खरीदारी

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	जमाबंदी नम्बर
अनमनी राम सर्वा हैसी पाव-जी-मुनेश्वर प्रसाद कौशिक मौजे 19- बहादुरपुरा	ई	3-22	58111	2.40	अ० ब०

बचा हुआ रकवा

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लोट	रकवा	लगान
ओ(S10) रामा बहादुर सिंह पिता श्री शिवपूजन सिंह पो पहानी बाजार, थाना फतुहा जिला पटना	ई	3-22	58111.	2.40

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अमर कुमार सिंह
Director

Certified to be true Copy
Head Clerk
under Sec. 76 Act of 1872

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इनको अनुशंसा नामांकन हेतु है। केस में उपस्थित [illegible] पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है। आम [illegible] प्रार्थना लिखा ली।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत हो [illegible] में नामांकन [illegible] दी जाती है।

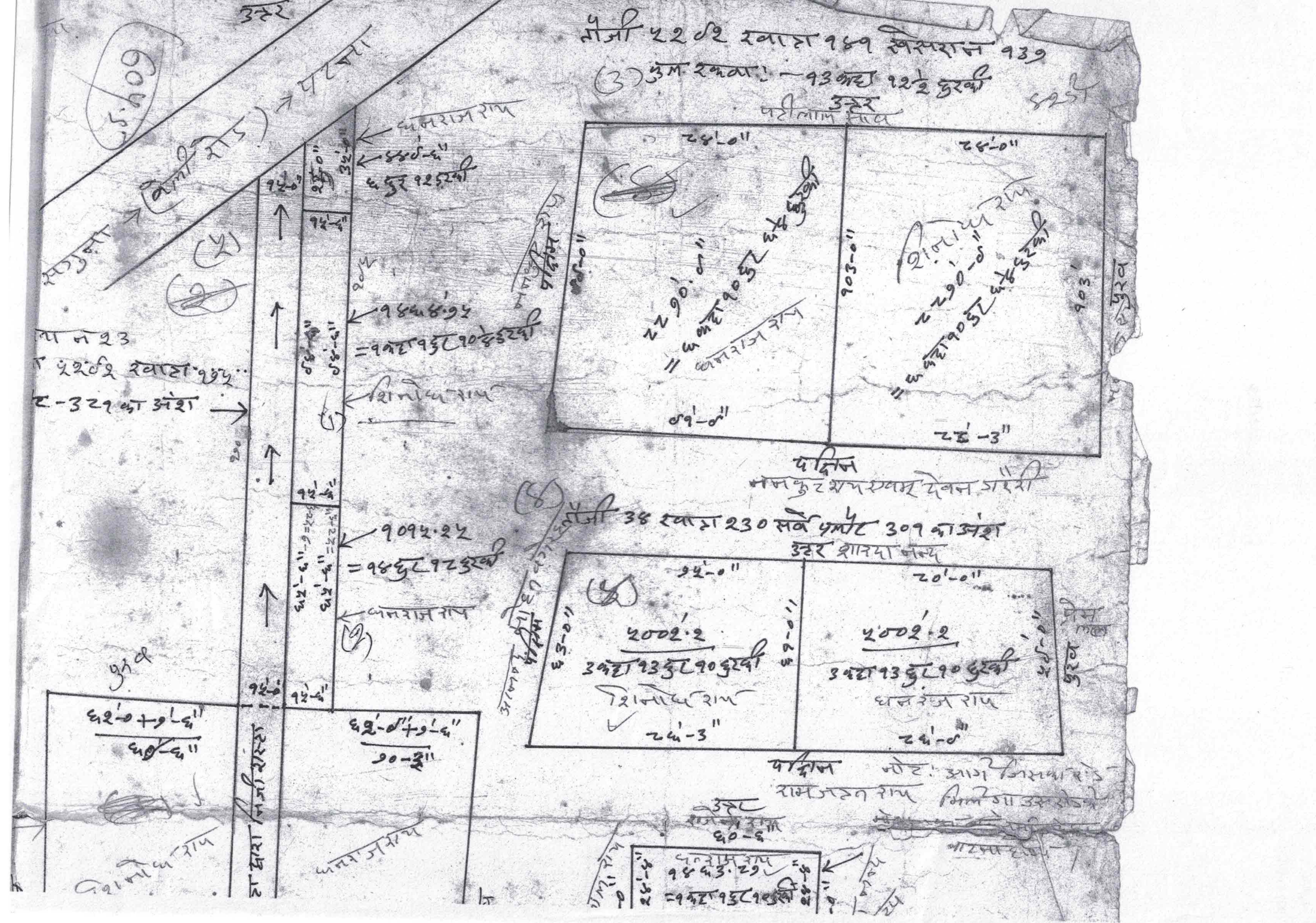
शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति रा [illegible] जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

लेखापित्र [illegible] अंचल

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true C
[illegible]
Head C
Issued under Sec. [illegible]

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
[illegible]
Director


मौजा ५२ ठ२ रकबा १४१ खेसरान १३१
(3) कुल रकबा :- १३ बीघा १२½ कुरकी
उत्तर
पटीलाभ रोड
२४'-०"
२४'-०"
२०३'-०"
२०३'
२०३'-०"
२०३'
२०३'
२०३'

Sch. XIV—F. No. 180V.

बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी।

फरद मालकी/फरद रैयती।

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

				159570

V

अराजी नगदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

२०१२-१३ मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल-गुजारी (नगदी)						
माल-गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सूद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान						

तफसील अदायकारी।

२०१२-१३ अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल-गुजारी (नकदी)						
माल-गुजारी (भावली)						
सेस ..						
*सूद ..						
मुतफरकात ..						
मीजान अदायकारी						

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) =

(२) नाम देहिन्दा —

(३) कुल बकाया

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

Director

Sch. XIV—F. No. 180V.

बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी।

फरद मालकी/फरद रैयती।

V

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

159571

अराजी नगदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

२०१२-१३ मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल-गुजारी (नगदी)	२·४०				६·४०	२·४०
माल-गुजारी (भावली)	०·६५				२·२५	०·६५
सेस ...	१·५				४·५	१·५
*सूद ...	१·५				४·५	१·५
मुतफरकात ...	०·६०				१·८०	०·६०
मीजान	६·८५				२०·५५	६·८५

तफसील अदायकारी।

२०१२-१३ अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल-गुजारी (नकदी)				६·४०	२·४०	
माल-गुजारी (भावली)				२·२५	०·६५	
सेस ..				४·५	१·५	
*सूद ..				४·५	१·५	
मुतफरकात ..				१·८०	०·६०	
मीजान अदायकारी				२०·५५	६·८५	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) –

(२) नाम देहिन्दा –

(३) कुल बकाया

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
Director

बिहार भू-राजस्व (कर्मचारी) नियमावली, 1996 — प्रारूप संख्या 5

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 122)

आदेश पत्रक ता०..... से..... तक

जिला..... सन् 20

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... 475/2000-01

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्यालय की कार्रवाई का संक्षिप्त तारीख
14.6.2000	आज दिनांक 14.6.2000 को राजस्व कार्य के निरस्तर के प्रसंग में ग्राम ____ थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री मती डा० उषा सिंह वल्द श्री डा० भरत बहादुर सिंह ग्राम पुरनीवणए थाना ____ जिला ____ ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे इसीका संख्या 2877 दिनांक 10.6.2000 प्रति से श्री मती विमला गोयल वल्द विष्णु मोहन कुमार ग्राम ____ थाना ____ जिला ____ के क्रय किया है	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
[illegible]	23		87	322	58 111

28.6.2000

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। [illegible]

अभिलेख दिनांक ____ को उपस्थित करें।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन।—

अंचलाधिकारी

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण कब्जे में है।

३) जमाबन्दी [illegible] के नाम से कायम है।

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

Director

दारि

मु० केश नम्बर— 475/2000-2001 साल—

ग्राम— सबुना राजस्व थाना नम्बर—23 जिल— [illegible]

मु० में जमीन रकवा 58.111.

प्राप्त का जरिया— जयेदारी

जरशमन केवाला— 2879 तिथि 10.6.1905.

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	जमाबंदी [illegible]
श्रीमती बिमला गोपाल पिराजी बिरुद मोहन कुमार ग्रा० [illegible]	६५	322	58.111	रु० 20	अ० आ० हावापुर महाराय, प्रमाणित [illegible] है। जमाबंदी [illegible] में है। जमीन [illegible] दखल जब्जा में दाखिल [illegible] खरीद दिया [illegible] है। रु 19
बचा हुआ रकवा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	
श्रीमती (डा०) बिमला सिंह पति श्री (डा०) [illegible] ग्रा० पुश्तनीखास [illegible] जिला जमुई	६५	322	58.111	रु० 20	

Certified to be true Copy

Head Clerk.

Signed under Sec. 76 Act of 1872 1/7/2000

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

अमल कुमार सिंह

Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का	टिप्पणी सहित

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पत्र में नामांकन दी जाती है।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

लेखापति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

For GANPATI RESIDENCY
PRIVATE LIMITED

बिहार १४—फारम सं ५१

(५ख धारालेख हेतु)

से ..... तक

जिला ..... थाना .....

देय का प्रकार दा० खा० वाद सं० .....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अन्य टिप्पणी
16.6.2000	आज दिनांक 16.6.2000 को राजस्व कार्य के निरस्तर के प्रसंग में ग्राम ..... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री ... बल श्री ... ग्राम पुरानी बजार थाना ... जिला ... ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 8878 दिनांक 10.6.2000 को प्रति से उन्होंने ... ग्राम ... थाना ... जिला ... के रैयत जिला है	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
सगुना	27		5V-	322	58.11

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

अजय कुमार सिंह

Director

28.6.2000

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक ..... को उपस्थित करें।

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

३) जमाबन्दी ..... के नाम से कायम है।

दाखि

केश नम्बर— साल—

नाम—

मु० में जमीन रकवा

जरुरमत 433004 केवाला— 2878 तिथि 10.6.2000

प्राप्त का जरिया— लेखीका

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	जमा नम्बर 2
जमनी राम साव हैसी-	६४	3-22	४.111	६४०	
बाप-जी-मुनेश्वर प्रसाद					
डोमिसाईल- बहादुरपुर					

बचा हुआ रकवा

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लोट	रकवा	लगान
मो(S10) अमरा बहादुर सिंह	६४	3-22	४.111.	६४०
पिता- मिनश्वर सिंह				
पो- पहाड़ी बाजार, थाना- फतुहा				
जिला- पटना				

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED

अमर कुमार सिंह

Certified to be

Copy

आदेश की क्र० संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। केन्द्र
पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से
नामांकन
जाती है।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया।
जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वा

लेखापरीक्षक

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be
Head
Authorised under S

For GANPATI RESIDENCY PRIVATE LIMITED
अजय कुमार सिंह
Director